<u>प्रकरण संख्या 49/2022 लालीया बनाम भगवान व अन्य</u>

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
08.10.2024	प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में हाल रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 व 2 ने एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 188, 63 (1) (4) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम बेड़ा सोटा, तहसील लसाड़िया में वाद पत्र के परिशिष्ठ ''क'' की आराजी नंबर 113/1 व 113/2 कुल किता 2 रकबा 58 बीघा 16 बिस्वा भूमि स्थित है, जो वर्तमान राजस्व रेकार्ड में बाबरू, दमला पिता मावा, मु. लिमडी बेवा मावा 1/4, कसना पिता वागा 1/4, उदीया पिता खाना 1/2 दर्ज है। इसी प्रकार परिशिष्ठ ''ख'' की आराजी नंबर 72/1, 88/1, 89, 90 कुल किता 4 रकबा 7 बीघा 14 बिस्वा वर्तमान राजस्व रेकार्ड में गोपाल पिता भोगा 1/5, मानीया, नारीया पिता नाथीया, मु. मानकी बेवा नाथिया 1/5, मेघा पिता रूपा 1/5, उदीया पिता खाना 1/5, हुरजी, रूपला पिता नन्दा 1/5 अंकित है। इसी प्रकार परिशिष्ठ ''ग'' की आराजी नंबर 100/1, 105, 106, 107, 203, 208/1क/10, 208/1क/3 से 5 कुल किता 7 रकबा 15 बीघा 03 बिस्वा भूमि वर्तमान राजस्व रेकार्ड में लालीया, गेवा, लोगर पिता उदा, मु. भूरकी बेवा उदीया मीणा दर्ज है तथा इसी प्रकार परिशिष्ठ ''घ'' की आराजी नंबर 49/3 रकबा 5 बीघा भूमि वर्तमान राजस्व अभिलेखों में लालीया, गेवा, लोगर पिता उदा, मु. भूरकी बेवा उदीया मीणा दर्ज है। इस प्रकार परिशिष्ठ ''क'' में अंकित भूमि में उदीया पिता खाना का 1/2 हिस्सा, परिशिष्ठ ''ख'' में उदिया पिता खाना का 1/5 हिस्सा तथा परिशिष्ठ ''ग'' व ''घ'' में अंकित सम्पूर्ण भूमि का वाद में विवाद है। पक्षकारान का सजरा वाद पत्र की कलम संख्या 3 अनुसार होकर मूल पुरूष खाना जी थे, जिसके तीन पुत्र उदीया, धूला व पदिया हुए, जिसमें पदिया फोत होकर उसके कोई वारिस नहीं है। उदीया के वारिस प्रतिवादी संख्या 1 से 4 तथा धूला के वारिस वादीगण हैं। उपरोक्त आराजियात वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 से 4 की संयुक्त परिवार की अविभाजित पैत्रक भूमि है, जो मूल पुरूष खाना के समय से चली आ रही है। खाना का [illegible] संवत 2011 में हुआ एवं उनके फोत होने पर उनकी [illegible] उदीया, धूला व पदिया	

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2024.11.19 11:10:42 IST
Reason: SelfAttested

काबिज होकर काश्त करने लगे। पदिया करीब 25 वर्ष पूर्व फोत होकर उसके कोई वारिस नहीं होने से उसके 1/3 हिस्से पर उदीया व धूला बराबर–बराबर हिस्से अनुसार काबिज हुए। इस प्रकार विवादित आराजियात में वादीगण का 1/2 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 1 से 4 का 1/2 हिस्सा होकर इसी अनुसार काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे हैं, किन्तु उदीया बड़ा पुत्र होने से खाना जी मृत्यु पर भूमि उसके अकेले के नाम दर्ज हो गयी एवं उदीया के फोत होने पर विरासत से प्रतिवादी संख्या 1 से 4 के नाम दर्ज हो गयी, जबकि उक्त आराजियात पैत्रृक होकर वादीगण का भी 1/2 हिस्सा होकर उसी अनुसार काबिज हैं। अतः वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर उदीया के नाम दर्ज भूमि में वादीगण को 1/2 हिस्से का खातेदार घोषित किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 से 4 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे।

अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 08.11.2021 को निर्णय पारित करते हुए वादीगण का वाद स्वीकार कर डिक्री जारी की, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा इस न्यायालय में यह अपील दिनांक 01.07.2022 को प्रस्तुत की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 व 2 की ओर से अधिवक्ता श्री ओंकारलाल डांगी उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 3 से 5 की ओर से अधिवक्ता श्री जोनी जैन उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 6 की ओर से राजकीय अधिवक्ता श्री कमलेश चौहान उपस्थित हुए, जबकि अपीलान्ट की ओर से अधिवक्ता श्री धर्मेन्द्र गहलोत उपस्थित हुए। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया जाकर अभिभाषक उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

अपीलान्ट ने धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उक्त निर्णय व डिक्री की जानकारी प्रथम बार अपीलान्ट को दिनांक 04.06.2022 को हुई। जानकारी दिनांक से अपील समयावधि में प्रस्तुत कर [illegible] है। [illegible] क्षमा किया जाकर अपील अन्दर मयाद शुमार [illegible] में [illegible] पत्र प्रस्तुत

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2024.11.19 11:10:42 IST
Reason: SelfAttested

किया।

हमने उक्त प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। चूंकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट की अनुपस्थिति में निर्णय पारित किया गया है। उक्त निर्णय व डिक्री की जानकारी अपीलान्ट को पूर्व में हो, ऐसी कोई साक्ष्य पत्रावली के रेकार्ड पर उपलब्ध नहीं है। अतः प्रकरण के गुणावगुण दृष्टिगण न्यायहित में क्षमा किया जाकर अपील श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः वक्त बहस दोहराते हुए बताया कि विवादित आराजियात रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 व 2 को कभी भी ऍलोट नहीं हुई है, बल्कि अपीलान्ट व रेस्पोन्डेन्ट संख्या 3 से 5 को आवंटित भूमि है, जिसका इन्द्राज राजस्व रेकार्ड में भी किया हुआ है। वादीगण ने विवादित भूमि संयुक्त हिन्दु परिवार की होने का कथन किया है, जबकि इस प्रकरण में उक्त अधिनियम लागू नहीं होता है। अधीनस्थ न्यायालय ने हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम अनुसार विभाजन करते हुए हिस्सा दर्ज करने का आदेश दिया है, जो विधि सम्मत नहीं है। वादीगण द्वारा धारा 63 के तहत कब्जे के आधार पर दाद चाही गयी है, किन्तु अधिनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में इसका कोई जिक्र नहीं किया है। विवादित आराजियात अपीलान्ट के पिता को आवंटित होकर उनका कब्जा अपने पिता के समय से चला आ रहा है, रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 व 2 को विवादित आराजियात पर कभी कब्जा नहीं रहा है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को तामील कराये बिना एकपक्षीय डिक्री जारी की है, जो त्रुटि पूर्ण होने से निरस्त योग्य है। अतः अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जावे तथा प्रकरण गुणावगुण पर निर्णय करने हेतु रिमाण्ड किया जावे। अपने कथन के समर्थन में न्यायिक नजीरें AIR 2022 Supreme Court Page 4213, DNJ 2018 (SC) Page 22, RLW 2019 (2) Page 1473 प्रस्तुत की।

उक्त बहस का खण्डन करते हुए विद्वान अधिवक्ता रेस्पोन्डेन्ट ने बताया कि अपीलान्ट/रेस्पोन्डेन्ट संख्या 3 से 5 बावजूद तामिल अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित नहीं होने के कारण विरूद्ध एकपक्षीय

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2024.11.19 11:10:42 IST
Reason: SelfAttested

कार्यवाही अमल में लायी गयी है तथा साक्ष्यों के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादीगण का वाद डिक्री किया गया है, जो विधि सम्मत होने से अपील खारिज की जावे।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अध्ययन किया। अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका दिनांक 18.06.2015 अनुसार दोनों पक्षों की सहमति से पत्रावली लोक अदालत में रखा जाना अंकित है। अर्थात दोनों पक्षों की उपस्थिति बनायी गयी है, जबकि इसके बाद की आदेशिका दिनांक 16.10.2015 में लोगर के अलावा किसी भी प्रतिवादी की तामिल नहीं होना अंकित है, जिससे स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सी.पी. सी0 अनुसार तामीली प्रक्रिया पूरी नहीं की गयी है। राजस्व रेकार्ड अनुसार प्रतिवादी संख्या 1 से 4 विवादित आराजियात के रेकार्डे खातेदार/सहखातेदार दर्ज हैं ऐसी स्थिति में बिना विधिवत तामिल कराये एवं बिना रेकार्डेड खातेदार को सुने अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय पारित किया गया है, वह प्रथम दृष्टया न्याय के नैसर्गिक सिद्धान्तों के विपरीत होने से अपास्त योग्य है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का प्रकरण संख्या 06/2014 निर्णय व डिक्री दिनांक 08.11.2021 अपास्त की जाती है तथा पत्रावली अधिनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि प्रकरण में प्रतिवादीगण की विधिवत तामिल कराकर एवं उन्हें सुनवाई का एवं साक्ष्य सबूत प्रस्तुत करने का पूर्ण अवसर देकर साक्ष्य सबूतों के आधार पर पुनः नये सिरे से निर्णय पारित करें। पक्षकारान अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 02.12.2024 को उपस्थित रहें। निर्णय आज दिनांक 08.10.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।

(कीर्ति राठौड़)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
जयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2024.11.19 11:10:42 IST
Reason: SelfAttested